



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052025-263378
CG-DL-E-26052025-263378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2025/ज्येष्ठ 5, 1947

No. 298]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2025/JYAISTHA 5, 1947

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2025

सा.का.नि. 341(अ).— घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्ववर्ती लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति के अधिक्रमण में, सरकारी अधिप्राप्ति में घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने के लिए संशोधित घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति-2025 को आम सूचना के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सरकारी अधिप्राप्ति में घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता देने के लिए नीति -
संशोधित, 2025

1. पृष्ठभूमि

1.1 यह नीति सरकारी अधिप्राप्ति में घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआईएंडएसपी) को वरीयता देती है।

1.2 यह नीति परिशिष्ट क में अधिसूचित लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद पर लागू होती है। परिशिष्ट ख में, लौह एवं इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए न्यूनतम घरेलू सामग्री और पूंजीगत वस्तुओं

की छूट प्राप्त सूची सूचीबद्ध की गई है, जिन्हें आयात किया जा सकता है। परिशिष्ट ग में स्वदेशी प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं से प्रौद्योगिकी की खरीद को बढ़ावा देने की नीति शामिल है।

2. परिभाषाएं

- 2.1 **बोलीदाता** लौह एवं इस्पात का कोई घरेलू/विदेशी विनिर्माता अथवा उनके बिक्री एजेंट/अधिकृत वितरक/अधिकृत डीलर/अधिकृत आपूर्ति गृह अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में बोली लगाने में कार्यरत कोई अन्य कंपनी हो सकती है।
- 2.2 **घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी)** वे लौह एवं इस्पात उत्पाद हैं जिनका विनिर्माण उन प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है जो भारत में पंजीकृत और स्थापित हैं, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड) शामिल हैं।
- 2.3 **घरेलू विनिर्माता** खंड 7 में दिशा निर्देशों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार 'विनिर्माता' की परिभाषा के अनुरूप लौह एवं इस्पात उत्पादों का एक विनिर्माता है।
- 2.4 **घरेलू मूल्य संवर्धन** का अर्थ है - भारत में जोड़े गए मूल्य की राशि जो अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तु के कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) में से अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तु के कुल मूल्य के अनुपात के रूप में वस्तु में आयातित सामग्री के मूल्य (सभी सीमा शुल्कों सहित) को घटाकर प्रतिशत में प्राप्त होगी। 'घरेलू मूल्य संवर्धन' की परिभाषा डीपीआईआईटी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी और भविष्य में डीपीआईआईटी द्वारा किसी भी बदलाव के मामले में इसे उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा। इस नीति दस्तावेज के उद्देश्य के लिए, घरेलू मूल्य संवर्धन और स्थानीय सामग्री का परस्पर उपयोग किया गया है।

% घरेलू मूल्य संवर्धन =

{अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तु का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) - वस्तु में आयातित सामग्री का मूल्य (सभी सीमा शुल्कों सहित)}

----- X 100%

{अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तु का कुल मूल्य}

- 2.5 **तैयार इस्पात** (फिनिश स्टील) का तात्पर्य सपाट और लंबे उत्पादों से होगा, जिन्हें बाद में प्रसाधित कर विनिर्मित वस्तु बनाया जा सकता है।
- 2.6 इस नीति के प्रयोजन से **सरकार** का तात्पर्य भारत सरकार से है।
- 2.7 **सरकारी एजेंसियों** में सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार द्वारा स्थापित सोसायटी, ट्रस्ट और सांविधिक निकाय शामिल हैं।
- 2.8 **स्वदेशी प्रौद्योगिकी**: किसी प्रौद्योगिकी को स्वदेशी प्रौद्योगिकी माना जाएगा यदि, इकाई की कम से कम 51% इक्विटी भारतीय निवासियों के पास हो और आईपीआर का स्वामित्व या सह-स्वामित्व

किसी भारतीय इकाई के पास हो या विशेष रूप से उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो तथा मुख्य इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास और परियोजना निष्पादन क्षमताएं भारत में हों।

2.9 एल1 का तात्पर्य निविदा अथवा अन्य अधिप्राप्ति अनुरोध के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में यथाघोषित निविदा, बोली लगाने संबंधी प्रक्रिया अथवा अन्य अधिप्राप्ति अनुरोधों में प्राप्त न्यूनतम निविदा अथवा न्यूनतम बोली अथवा न्यूनतम भाव से होगा।

2.10 एमओएस का आशय इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से है।

2.11 खरीद वरीयता के मार्जिन का तात्पर्य उस अधिकतम सीमा से है जिस सीमा तक किसी घरेलू आपूर्तिकर्ता द्वारा लगाई गई कीमत खरीद वरीयता के प्रयोजन से एल1 से अधिक हो। डीएमआईएंडएसपी नीति के मामले में, खरीद वरीयता का मार्जिन परिशिष्ट ख में मदों के लिए 20% होगा।

2.12 मेल्ट एंड पोर को एक ऐसे इस्पात के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे इस्पात बनाने वाले फर्नेस में उत्पादित किया जाता है और इसे अपने पहले ठोस आकार में डाला जाता है। जिस स्थान पर यह प्रक्रिया होती है उसे मेल्ट एंड पोर का उद्गम स्थल (सीओएम) कहा जाता है। सीओएम वह मूल स्थान है जहाँ कूड इस्पात को पहली बार तरल अवस्था में उत्पादित किया जाता है और इसे अपने पहले ठोस आकार में डाला जाता है। पहला ठोस आकार एक अर्ध-तैयार उत्पाद जैसे स्लेब, बिलेट, पिंड या एक तैयार इस्पात मिल उत्पाद हो सकता है।

2.13 निवल बिक्री मूल्य इन्वॉइस मूल्य होगा जिसमें निवल घरेलू कर और शुल्क शामिल नहीं होंगे।

2.14 अर्ध-तैयार इस्पात (सेमी-फिनिशड स्टील) का तात्पर्य इनगोट्स, बिलेट्स, ब्लूम्स और स्लेब्स से है, जिसे बाद में प्रसाधित कर तैयार इस्पात बनाया जा सकता है। पल

3. अपवर्जन

3.1 इस्पात मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की सभी सरकारी अधिप्राप्ति के लिये निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान की जा सकती है।

3.1.1 जहां विशिष्ट ग्रेडों के इस्पात का निर्माण इस देश में नहीं किया जाता हो, अथवा

3.1.2 जहां परियोजना की मांग के अनुसार इन मात्राओं को घरेलू स्रोतों के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता हो।

3.2 छूट संबंधी अनुरोध लौह एवं इस्पात उत्पादों की घरेलू स्तर पर अनुपलब्धता के पर्याप्त प्रमाण के साथ स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. स्थायी समिति

4.1 सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति नीति के कार्यान्वयन को देखेगी।

4.2. इस समिति में उद्योग/उद्योग संघ/सरकारी संस्था अथवा निकाय/इस्पात मंत्रालय (एमओएस) से लिए गए विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस्पात मंत्रालय में उक्त समिति के पास निम्नलिखित के लिए अधिदेश होगा:

- 4.2.1 नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- 4.2.2 परिशिष्ट क, परिशिष्ट ख और परिशिष्ट ग में उल्लिखित लौह एवं इस्पात उत्पादों की सूची, घरेलू सामग्री आवश्यकता मानदंड और नीति निर्देशों की समीक्षा करना और उन्हें अधिसूचित करना।
- 4.2.3 पैरा 3 के अनुसार प्रापण एजेंसियों को अपवर्जन की स्वीकृति देने सहित इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करना।
- 4.2.4 इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों की प्रारंभिक जांच के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन करना।
- 4.2.5 अधिप्राप्ति एजेंसी द्वारा इस नीति का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करना और सलाह देना।
- 4.3 जहां भी प्रापण इकाई इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उपलब्ध बोलीदाता/विनिर्माता द्वारा अनुचित रूप से उच्च मूल्य निर्धारित किया गया है, तो मामले को स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। ऐसे मामलों में, प्रापण इकाई को अपने मामले को पूर्ण और विस्तृत दस्तावेजों के साथ प्रमाणित करना होगा।
- 4.4 बोली दस्तावेज में विदेशी प्रमाणन/अनुचित तकनीकी विनिर्देश निर्दिष्ट करना स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण व्यवहार है। यदि भारतीय मानकों की अनुपलब्धता और/या किसी अन्य कारण से विदेशी प्रमाणन निर्धारित करना आवश्यक है, तो ऐसा समिति की लिखित स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा।

5. प्रयोज्यता

- 5.1 यह नीति सरकार के प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी एजेंसियों/इकाइयों तथा सरकारी परियोजनाओं के लिए लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद हेतु इन एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं पर लागू है। केन्द्रीय क्षेत्र की सभी योजनाएं (सीएस)/ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) जिनके लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा खरीद की जाती है, इस नीति की परिधि में आएंगी, यदि उस परियोजना/योजना को भारत सरकार द्वारा पूर्णतया/अंशतः वित्तपोषित किया जाता है।
- 5.2 यह नीति सार्वजनिक क्षेत्रों के इस्पात विनिर्माताओं और उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एजेंसियों/इकाइयों पर लौह एवं इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत मालों (परिशिष्ट-ख) की अधिप्राप्ति के लिए लागू है।
- 5.3 परिशिष्ट-ख में लौह एवं इस्पात उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत माल की छूट संबंधी सूची दर्शाई गई है, जिन्हें आयात किया जा सकता है, तथा संबंधित पैकेजों के लिए न्यूनतम घरेलू मूल्य संवर्धन आवश्यकता बताई गई है। पूंजीगत माल के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन, जैसा कि

दर्शाया गया है, परिवर्तन के अधीन है; उदाहरण के लिए, यदि देश में कुछ पूंजीगत माल घटकों का विनिर्माण किया जाता है, तो घरेलू मूल्य संवर्धन प्रतिशत बढ़ सकता है।

- 5.4 इस्पात विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत माल के लिए 20% की खरीद वरीयता लागू है। उदाहरण के लिए, यदि आयात योग्य पूंजीगत माल के लिए न्यूनतम बोलीदाता (एल1) कोई विदेशी कंपनी है, जिसने उत्पाद पैकेज के लिए 100 करोड़ रुपये की कीमत बताई है, तो नीति के तहत, समान पूंजीगत माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता के लिए 20% की खरीद वरीयता लागू होगी।
- 5.5 परिशिष्ट-ग में इस्पात बनाने वाले सीपीएसई के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं से खरीद करने के निर्देश और कार्यप्रणाली दी गई है।
- 5.6 यह नीति उन परियोजनाओं और गैर-परियोजनाओं पर लागू होगी, जहाँ किसी संविदा में लौह एवं इस्पात उत्पादों (परिशिष्ट-क) का कुल अधिप्राप्ति मूल्य मदवार आधार पर 5 लाख रुपये से अधिक है।
- 5.7 लौह एवं इस्पात उत्पादों की अधिप्राप्ति से संबंधित निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा इन्क्वायरी (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी (डीएमआईएंडएसपी नीति का परिशिष्ट-क)। लौह एवं इस्पात उत्पादों के विनिर्माण जिनका अनुमानित मूल्य 200 करोड़ रु. तक हो, (डीएमआईएंडएसपी नीति के परिशिष्ट-ख) के लिए पूंजीगत माल की अधिप्राप्ति से संबंधित निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा इन्क्वायरी (जीटीई) व्यय विभाग द्वारा यथा नाम-निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अलावा आमंत्रित नहीं की जाएगी।
- 5.8 यह नीति सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग अथवा उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की किसी ईपीसी संविदा और/ अथवा अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए को पूरा करने के लिए निजी एजेंसियों द्वारा लौह एवं इस्पातों की अधिप्राप्ति पर लागू है।

6. अधिप्राप्ति के लिए निविदा प्रक्रिया

- 6.1 प्रापण एजेंसियां डीएमआईएंडएसपी नीति का पालन करते समय वित्त मंत्रालय और सीवीसी के अनुदेशों के अनुसार मानक अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करेगी।
- 6.2 माल की अधिप्राप्ति के साथ-साथ ईपीसी संविदाओं के लिए निविदा दस्तावेज में परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए योग्यता मानदंड को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए।
- 6.3 परिशिष्ट-क और परिशिष्ट-ख के तहत आने वाले उत्पादों के घरेलू विनिर्माताओं को बोली लगाते समय नीति में निर्धारित फॉर्म-1 के अनुसार स्थानीय सामग्री का स्व-प्रमाणन करना होगा।
- 6.4 वे बोलीदाता जो परिशिष्ट-क के अंतर्गत आने वाले लौह एवं इस्पात उत्पादों के घरेलू विनिर्माताओं के विक्रय एजेंट/अधिकृत वितरक/अधिकृत डीलर/अधिकृत आपूर्ति घर हैं, वे नीति के अंतर्गत घरेलू विनिर्माताओं की ओर से स्व-प्रमाणन के साथ बोली लगाने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि बोलीदाता डिलीवरी के समय घरेलू विनिर्माता द्वारा जारी किया गया प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

- 6.5 डीएमआईएंडएसपी नीति के परिशिष्ट ख के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए बोलीदाता को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक या लागत लेखापरीक्षक (कंपनियों के मामले में) या किसी व्यवसायिक लागत लेखाकार या व्यवसायिक चार्टर्ड अकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) द्वारा जारी प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि लौह एवं इस्पात उद्योग में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत माल निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन के अनुसार घरेलू स्तर पर विनिर्मित किए गए हैं।
- 6.6 यदि किसी वस्तु के भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को किसी विदेशी सरकार द्वारा अधिप्राप्ति में भाग लेने और/या प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि निविदा की कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तें हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध है, जैसे अधिप्राप्ति करने वाले देश में पंजीकरण, अधिप्राप्ति करने वाले देश में विशिष्ट मूल्य की परियोजनाओं का निष्पादन आदि, तो वे उचित पारस्परिक प्रापण संस्थाओं को ऐसे विवरण उपलब्ध कराएंगे।
- 6.7 इस्पात मंत्रालय द्वारा उन देशों की संस्थाओं की पहचान की गई है जो भारतीय कंपनियों को इस्पात मंत्रालय से संबंधित किसी भी वस्तु के लिए अपनी सरकारी अधिप्राप्ति में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन्हें इस्पात मंत्रालय से संबंधित सभी वस्तुओं के लिए भारत में सरकारी अधिप्राप्ति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उन वस्तुओं की सूची के जो उन्हें भाग लेने की अनुमति देती हैं।
- 6.8 उपरोक्त अनुबंध जैम पोर्टल सहित केन्द्र सरकार की प्रापण संस्थाओं द्वारा आमंत्रित सभी निविदाओं का हिस्सा होगी।
- 6.9 यदि बोली दस्तावेजों में घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक या भेदभावपूर्ण शर्तें शामिल की जाती हैं, तो अधिप्राप्ति करने वाले प्रशासनिक विभाग (इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी भी इकाई द्वारा अधिप्राप्ति सहित) द्वारा इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच की जाएगी। इसके बाद, संबंधित प्रावधानों के तहत प्रापण संस्थाओं के दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक या अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सभी कार्रवाई की सूचना डीएमआईएंडएसपी नीति के तहत स्थायी समिति को भेजी जाएगी।
- 6.10 इस आदेश के उल्लंघन के लिए किसी प्रापण इकाई द्वारा प्रतिबंधित आपूर्तिकर्ता प्रतिबंध की अवधि के दौरान किसी अन्य अधिप्राप्ति करने वाली इकाई द्वारा अधिप्राप्ति के लिए इस आदेश के तहत वरीयता के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसी अन्य प्रापण संस्थाओं के लिए प्रतिबंध उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन यह अन्य अधिप्राप्ति करने वाली संस्थाओं के ध्यान में आता है।
- 6.11 यदि, इस मामले को इस्पात मंत्रालय के पास भेजा जाता है, तब इस्पात मंत्रालय के अधीन गठित शिकायत निवारण समिति सरकारी एजेंसी के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद बोलीदाता से सभी दस्तावेजों के प्राप्त होने और उसका संदर्भ भेजे जाने के 4 सप्ताह के भीतर शिकायत का निपटारा

करेगी। बोलीदाता से यह अपेक्षित होगा कि वे इस मामले के संदर्भ के 2 सप्ताह के भीतर इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति को लौह एवं इस्पात उत्पादों में दावा किए गए घरेलू मूल्यवर्धन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

6.12 निविदा दस्तावेज में निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन का बोलीदाता के द्वारा गलत घोषणा किए जाने की स्थिति में प्रापण ऐजेंसी शास्ती को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगी। इस शास्ती में ऐसे विनिर्माता/सेवा प्रदाता आदि की ईएमडी को जब्त करना, अन्य वित्तीय शास्ती लगाना और उसे ब्लेकलिस्ट किया जाना शामिल हो सकता है।

7. इस्पात मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी

- 7.1 इस नीति के प्रावधान प्रकाशन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इस नीति की अवधि को इस्पात मंत्रालय के विवेक से और आगे बढ़ाया जा सकता है।
- 7.2 इस्पात मंत्रालय इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा।
- 7.3 डीएमआईएंडएसपी नीति के अंतर्गत सभी एजेंसियां तिमाही आधार पर घोषणा पत्र भेजेगी जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस नीति के अनुपालन की सीमा और उसके अनुपालन न किए जाने के कारणों को दर्शाया जायेगा।

अनुलग्नक-क

लौह एवं इस्पात उत्पादों की सूची जिनकी अधिप्राप्ति केवल घरेलू स्रोतों से की जा सकती है

क्र.सं.	लौह एवं इस्पात उत्पाद	एचएस कोड	स्थिति
1	600 मि.मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, हॉट रोल्ड, नॉट क्लेड, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7208	मेल्ट एंड पोर
2	600 मि.मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के फ्लैट रोल उत्पाद, कोल्ड रोल्ड (रिड्यूज्ड किया हुआ), नॉट क्लेड, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7209	मेल्ट एंड पोर
3	600 मि.मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात का फ्लैट रोल उत्पाद, क्लेड, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7210	मेल्ट एंड पोर
4	600 मि.मी. से कम की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात का फ्लैट रोल उत्पाद, नॉट क्लेड, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7211	मेल्ट एंड पोर

5	600 मि.मी. कम की चौड़ाई का लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात का फ्लैट रोल उत्पाद, क्लेड, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7212	मेल्ट एंड पोर
6	लौह एवं गैर-मिश्रधातु इस्पात का अनियमित रूप से वूंड क्वाइल में बार्स और रॉड, हॉट रोल्ड	7213	मेल्ट एंड पोर
7	लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के अन्य बार्स और रॉड्स जिसे फोर्ज किए जाने की तुलना में आगे अधिक वर्क नहीं किया हुआ, हॉट रोल्ड, हॉट ड्रॉन अथवा हॉट एक्सट्रूडेड परंतु रोलिंग के बाद उसे टिविस्ट किये जाने सहित	7214	मेल्ट एंड पोर
8	लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात का अन्य बार्स एंड रॉड्स	7215	मेल्ट एंड पोर
9	लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात का एंगल, शेप और सेक्शन्स	7216	मेल्ट एंड पोर
10	लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात का वायर	7217	मेल्ट एंड पोर
11	600 मि.मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई का स्टेनलैस इस्पात का फ्लैट रोल्ड इस्पात	7219	मेल्ट एंड पोर
12	600 मि.मी. से कम की चौड़ाई का स्टेनलैस इस्पात का फ्लैट रोल्ड इस्पात	7220	मेल्ट एंड पोर
13	स्टेनलैस स्टील के अन्य बार्स और रॉड्स; स्टेनलैस स्टील का एंगल शेप और सेक्शन्स	7222	मेल्ट एंड पोर
14	अन्य मिश्रधातु इस्पात के वायर	7229	मेल्ट एंड पोर
15	लौह अथवा इस्पात को रेल, रेलवे अथवा ट्रामवे ट्रेक निर्माण सामग्री	7302	मेल्ट एंड पोर
16	कास्ट लौह के ट्यूब, पाइप और हॉलो पाइप	7303	मेल्ट एंड पोर
17	लौह (कास्ट आयरन को छोड़कर) अथवा इस्पात के ट्यूब पाइप और हॉलो प्रोफाइल, सीमलैस	7304	मेल्ट एंड पोर
18	लौह अथवा इस्पात के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले अन्य ट्यूब और पाइप (उदाहरण के लिए, वेल्ड किया हुआ, रिबेट किया हुआ अथवा समान रूप से बंद किया हुआ), जिसकी बाहरी त्रिज्या 406.4 मि.मी. से अधिक हो	7305	मेल्ट एंड पोर
19	लौह अथवा इस्पात के अन्य ट्यूब, पाइप और हॉलो प्रोफाइल (उदाहरण के लिए ओपन सीन अथवा वेल्ड किया हुआ, रिबेट किया हुआ अथवा समान रूप से बंद किया गया हुआ)	7306	मेल्ट एंड पोर
20	लौह अथवा इस्पात के ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कनेक्टर/कप्लिंग, एल्बो स्लीव्स)	7307	मेल्ट एंड पोर
21	स्टेनलैस स्टील का अनियमित रूप से वूंड क्वाइल में बार्स और रॉड, हॉट रोल्ड	7221	मेल्ट एंड पोर
22	स्टेनलैस स्टील का वायर	7223	मेल्ट एंड पोर
23	इलेक्ट्रिकल स्टील सहित 600 मि.मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले अन्य मिश्र धातु इस्पात का फ्लैट-रोल्ड इस्पात	7225	मेल्ट एंड पोर

24	इलेक्ट्रिकल स्टील सहित 600 मि.मी. से कम की चौड़ाई वाले अन्य मिश्रधातु इस्पात का फ्लैट-रोल्ड इस्पात	7226	मेल्ट एंड पोर
25	अन्य मिश्रधातु इस्पात का अनियमित रूप से वूंड क्वाइल में बार्स और रोड, हॉट रोल्ड	7227	मेल्ट एंड पोर
26	अन्य मिश्रधातु इस्पात का अन्य बार्स और रॉड्स; अन्य मिश्रधातु इस्पात का एंगल, शेप्स और सेक्शन्स; एलॉय अथवा गैर- मिश्रधातु इस्पात का हॉलो ड्रिल बार्स और रॉड्स	7228	मेल्ट एंड पोर
27	लौह अथवा इस्पात की शीट पाइलिंग, चाहे ड्रिल किया हुआ हो अथवा नहीं, चाहे पंच किया हुआ हो अथवा नहीं, चाहे असेम्बल किये हुए तत्वों से बना हुआ हो अथवा नहीं; लौह अथवा इस्पात का वेल्ड किया हुआ एंगल, शेप और सेक्शन्स	7301	मेल्ट एंड पोर
28	स्ट्रक्चर्स (9406 के शीर्ष का प्रीफेब्रिकेटेड भवनों को छोड़कर) और स्ट्रक्चर्स का हिस्सा	7308	मेल्ट एंड पोर
29	300 से अधिक क्षमता का लौह अथवा इस्पात का किसी सामग्री (कम्प्रेस किए हुए अथवा तरलीकृत गैस को छोड़कर) के लिए भंडार, टैंक, वैट और समान कन्टेनर चाहे उसे लाइन किया गया हो अथवा नहीं या उसे हीट से इन्सुलेट किया गया हो अथवा नहीं लेकिन यांत्रिक अथवा तापीय उपक्रम से युक्त न हो	7309	मेल्ट एंड पोर
30	अधिकतम 300 लीटर की क्षमता का लौह अथवा इस्पात का किसी सामग्री (कम्प्रेस किए हुए अथवा तरलद्रवी गैस को छोड़कर) के लिए टैंक, कास्ट, ड्रम, केन, बॉक्स और समान कन्टेनर चाहे उसे लाइन किया गया हो अथवा नहीं या उसे हीट से इन्सुलेट किया गया हो अथवा नहीं लेकिन यांत्रिक अथवा तापीय उपक्रम से युक्त न हो	7310	मेल्ट एंड पोर
31	लौह अथवा इस्पात का कम्प्रेस किया हुआ अथवा तरलद्रवी गैस के लिए कन्टेनर	7311	मेल्ट एंड पोर
32	लौह अथवा इस्पात का स्टैंडिड वायर, रोप, केबल, प्लेटिड बैंड, स्प्रिंग और उसके समान वस्तु जिसे विद्युतीय रूप से इन्सुलेट न किया गया	7312	मेल्ट एंड पोर
33	लौह अथवा इस्पात का फेनसिंग के लिए उपयोग किये जाने वाला बार्ड वायर; ट्विस्ट किया हुआ हूप अथवा सिंगल फ्लेट वायर, बार्स किया हुआ अथवा नहीं और लूज तरीके से ट्विस्ट किया हुआ डबल वायर	7313	मेल्ट एंड पोर
34	लौह अथवा इस्पात वायर का ड्रिल, नेटिंग और फेनसिंग; लौह अथवा इस्पात संबंधित एक्सपैंडेड विस्तृत धातु	7314	मेल्ट एंड पोर
35	लौह अथवा इस्पात का चैन और उसका हिस्सा	7315	मेल्ट एंड पोर
36	लौह अथवा इस्पात का टैंकर, ग्रेपनेल्स और उसका हिस्सा	7316	मेल्ट एंड पोर

37	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7317	मेल्ट एंड पोर
38	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7318	मेल्ट एंड पोर
39	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7319	मेल्ट एंड पोर
40	लौह अथवा इस्पात का स्प्रिंग और स्प्रिंग के लिए लीव्स	7320	मेल्ट एंड पोर
41	लौह अथवा इस्पात का स्टोव्स, रेंज, ग्रेड, कूकर (सेंट्रल हिटिंग के लिए सहायक बायलरों के साथ उन वस्तुओं सहित), बारबेक्यूज, ब्रेजियर्स, गैस रिंग, प्लेट वॉर्मर्स और समान गैर-विद्युतीय घरेलू उपकरण और उसका हिस्सा	7321	मेल्ट एंड पोर
42	लौह अथवा इस्पात का सेंट्रल हिटिंग के लिए रेडियेटर जिसे विद्युतीय रूप से हीट न किया गया हो और उसका हिस्सा; लौह अथवा इस्पात का हेयर हीटर और हॉट एयर वितरक जिसे विद्युतीय रूप से हीट न किया गया हो, फेन अथवा ब्लोअर जो मोटर से चलती हो और उसके हिस्से को शामिल करते हुए	7322	मेल्ट एंड पोर
43	लौह अथवा इस्पात का टेबल और समान घरेलू वस्तुएं और उसका हिस्सा	7323	मेल्ट एंड पोर
44	लौह अथवा इस्पात का सेनेटरी वेयर और उसके पार्ट्स	7324	मेल्ट एंड पोर
45	लौह अथवा इस्पात का अन्य कास्ट सामान	7325	मेल्ट एंड पोर
46	लौह अथवा इस्पात का विद्युतीय इस्पात और अन्य वस्तुएं	7326	मेल्ट एंड पोर
47	रेलवे अथवा ट्रामवे पैसेंजर कोच जो स्व-चालित नहीं है	8605	मेल्ट एंड पोर
48	रेलवे अथवा ट्रामवे माल वेन और वेगेन जो स्व-चालित नहीं है	8606	मेल्ट एंड पोर
49	रेलवे अथवा ट्रामवे लोकोमोटिव का हिस्सा अथवा रोलिंग स्टॉक जैसे बोगिज, बिसल बोगिज, एक्सेल और फोर्ज्ड किया हुआ पहिया और उसका हिस्सा	8607	मेल्ट एंड पोर

परिशिष्ट- ख

लौह एवं इस्पात उत्पादों तथा पैकेज के लिए लागू न्यूनतम घरेलू मूल्य संवर्धन के लिए आयात किए जा सकने वाले पूंजीगत माल (गैर-संपूर्ण) की सांकेतिक सूची

क्र.सं.	संयंत्र/यूनिट पैकेज	पूंजीगत माल के लिए न्यूनतम घरेलू मूल्य संवर्धन (%)	आयात योग्य वस्तुएँ
1	कच्चे माल की हैंडलिंग प्रणाली (बाउंड्री लिमिट - वैगन टिपलर से संबंधित उपयोगकर्ता इकाइयों तक)	95%	बैरल कप्लिंग, हेवी ड्यूटी बियेरिंग, क्रेन रेल लुब्रिकेशन प्रणाली, स्लू रिंग बियेरिंग्स, टॉग्स (विशेष), बियेरिंग आइसोलेशन प्रणाली (स्प्रिंग डैम्पर)।
2	मिनरल बेनिफिशिएशन (लिमिट लौह अयस्क और कोयला) उपस्कर (बाउंड्री लिमिट: क्रेशर हॉपर में आरओएम की प्राप्ति, विखंडन, पृथक्करण, अयस्क/कोयला प्रसंस्करण से लेकर अंतिम उत्पाद तैयार करना)	75%	<ul style="list-style-type: none"> • वेट हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक सैपरेटर / हाई ग्रेडीअन्ट मैग्नेटिक सैपरेटर • हेवी मीडिया साइक्लोन • जाइरेटरी क्रशर • स्पाइलर कंसट्रेटर • ऑनलाइन ऐश एनालाइजर
3	खनन मशीनरी (बाउंड्री लिमिट: ड्रिलिंग, रेजिंग, हॉलेज और खदान की तैयारी के लिए उपस्कर)	80%	डम्पर (220 टन से अधिक पे लोड क्षमता), हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर (10.5 क्यूबिक मीटर बकेट क्षमता से अधिक)
4	कोक ओवन बैटरी (दोनों टॉप चार्ज और स्टैम्प चार्ज) (कोयला बंकर से कोक डिस्चार्ज बकेट तक)	90%	एंकरेज सिस्टम के स्प्रिंग्स, सीओजी बूस्टर, स्टैम्पिंग ट्रेन, बॉन्डिंग प्रेस
5	कोक ड्राई क्वेन्चिंग संयंत्र	90%	कूलिंग चैम्बर के ट्विन फ्लू के लिए मिल फैन और मोटर

	(हॉट कोक प्राप्त करने वाली बेकट से लेकर कूलिंग चैम्बर निर्वहन ढलान तक)		विशेष रिफैक्ट्री
6	उपोत्पाद संयंत्र (प्राथमिक गैस कूलर से स्वच्छ कोक ओवन गैस के नेटवर्क तक)	90%	एग्जॉस्टर और मोटर, कलॉज किलन कैटलिस्ट का बर्नर टेल गैस विश्लेषक, पैलेटाइजेशन इकाई
7	सिंटर संयंत्र उपस्कर (बाउंड्री लिमिट - उत्पाद सिंटर बिन के नीचे वाइब्रो-फीडर हेतु कच्चे माल के लिए प्राप्त बिन)	75%	हाई इन्टेन्सिव मिक्सर और ग्रैनुलेटर इकाई, पैलेट कार, ड्राइव स्प्रोकेट, सिंटर मशीन के गियर बॉक्स के साथ मुख्य ड्राइव, स्लाइड रेल और कर्व्ड रेल, हॉट सिंटर ब्रेकर और गिज़ली, एनुलर डिप रेल कूलर, सिंटर प्लांट एग्जॉस्टर अनुप्रयोग के लिए एलसीआई ड्राइव सिस्टम
8	पैलेट संयंत्र उपस्कर (बाउंड्री लिमिट - फ्लक्स और बाइंडर के लिए ग्राउंड हॉपर प्राप्त करना, बेल्ट कन्वेयर उत्पाद पैलेट बेल्ट कन्वेयर को आईओएफ फीडिंग)	85%	पैलेट कार, हाई इंटेंसिव मिक्सर, बॉलिंग डिस्क, वर्टिकल रोलर मिल, ड्राइव/डिस्चार्ज एंड स्प्रोकेट असेंबली, कर्व्ड रेल, स्लाइड रेल, सिंगल डेक रोलर स्क्रीन और डबल डेक रोलर स्क्रीन, इंड्यूशियल मशीन ड्राइव असेंबली, लेवल-2 ऑटोमेशन
9	ब्लास्ट फर्नेस उपस्कर बाउंड्री लिमिट: इनपुट: • कच्चा माल - संबंधित सामग्री के बंकरों का ऊपरी भाग	70%	<ul style="list-style-type: none"> बेल लेस टॉप गियर बॉक्स, ऊपरी सील डिवाइस जो ऊपरी सामग्री गेट और ऊपरी सील वाल्व को कवर करती है, निचली सील डिवाइस जो निचले सामग्री गेट और

	<ul style="list-style-type: none"> • कोल्ड ब्लास्ट - स्नॉर्ट वाल्व का इनलेट • औद्योगिक जल - बीएफ पंप हाउस <p>आउटपुट</p> <ul style="list-style-type: none"> • गरम धातु - टारपीडो लेडल में भरी जाती है • ग्रेनुलेटिड स्लैग - ग्रेनुलेटिड स्लैग यार्ड के लिए 		<p>निचले सील वाल्व को कवर करती है, ब्लीडर वाल्व</p> <ul style="list-style-type: none"> • हार्थ रिफ्रेक्टरी (कार्बन ब्लॉक) • टॉप रिकवरी टर्बाइन सिस्टम (टीआरटी) • क्यू-स्टेव्स • एसजीआई स्टेव्स • कास्ट हाउस उपस्कर (मड गन, ड्रिलिंग मशीन और मुख्य ट्रॉफ मैनिपुलेटर) • प्रोब, प्रोफाइलोमीटर और स्टॉक स्तर सूचक (रडार टाईप) • गैस सफाई संयंत्र (एजीएस प्रणाली) • स्टोव सिस्टम - सिरेमिक बर्नर और तकनीकी वाल्व • अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणाली • टर्बो ब्लोअर • बॉल मिल • पीसीआई इंजेक्शन सिस्टम • लेवल-II ऑटोमेशन
10	<p>गैस आधारित प्रत्यक्ष रीडक्शन संयंत्र उपस्कर</p> <p>(बाउंड्री लिमिट: डीआरआई रिएक्टर के शीर्ष पर कच्चे माल की प्राप्ति और ईएएफ में हॉट डीआरआई का डिस्चार्ज)</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> • रिएक्टर चार्जिंग सिस्टम • रिएक्टर • रिएक्टर डिस्चार्जिंग प्रणाली

			<ul style="list-style-type: none"> • ईएएफ में नुमैटिक ट्रांसफर • ब्रिकेटिंग प्रणाली के लिए डिस्चार्ज रूट • ब्रिकेटिंग फीडिंग सिस्टम • ब्रिकेटिंग प्रणाली • रिडक्शन गैस सर्किट • CO₂ निष्कासन इकाई • प्रक्रिया गैस हीटर • सुधारक प्रणाली • हीट रिकवरी प्रणाली • प्रोसेस गैस कम्प्रेसर • ब्लोअर्स • सील गैस प्रणाली • फ्लू गैस फैन/हॉट फैन • प्रक्रिया वाल्व • क्रिटिकल बेलोज • क्रिटिकल रिफ्रैक्टरी • प्राकृतिक गैस शोधन पूर्व प्रणाली • लेवल-II ऑटोमेशन
11	ऑक्सीजन संयंत्र 700 टीपीडी और उससे अधिक (सीमा: ऑक्सीजन संयंत्र सीमा पर पानी, विद्युत)	30%	<ul style="list-style-type: none"> • मुख्य एयर कंप्रेसर • बूस्टर एयर कंप्रेसर • एक्सपेंशन टरबाइन • रिबायलर

			<ul style="list-style-type: none"> • क्रायोजेनिक पंप • एएसयू के हीट विनिमय तत्व
12	इस्पात निर्माण		
12.1	हॉट मेटल डी-डी-सल्फराइजेशन स्टेशन (एचएमडीएस) यूनिट के साथ को-इंजेक्शन प्रक्रिया (ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) से गर्म धातु को टारपीडो लेडल या ओपन-टॉप लेडल में प्राप्त किया जाता है, "सल्फर (एस)" सामग्री को कम करने के लिए डीसल्फराइजेशन शोधन से गुजारा जाता है, और फिर बीओएफ कनवर्टर में स्थानांतरित किया जाता है)	75%	<ul style="list-style-type: none"> • इंजेक्शन लांस और सहायक उपकरणों के साथ स्वचालित सैंपलिंग इकाई • सहायक उपकरणों के साथ डी-स्लैगिंग मशीनें (स्लैग रेकिंग मशीन) • सहायक उपकरणों के साथ तापमान मापने और नमूना लेने के साधन
12.2	हॉट मेटल डी-डी-सल्फराइजेशन स्टेशन (एचएमडीएस) यूनिट मैकेनिकल स्टिरर (केआर) प्रक्रिया के साथ (ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) से गर्म धातु को टारपीडो लेडल या ओपन-टॉप लेडल में प्राप्त किया जाता है, "सल्फर (एस)" सामग्री को कम करने के लिए डीसल्फराइजेशन शोधन से गुजारा जाता है, और फिर बीओएफ कनवर्टर में स्थानांतरित किया जाता है)	70%	<ul style="list-style-type: none"> • सहायक उपकरणों के साथ इम्पेलर, इम्पेलर लिफ्टिंग और स्टीरिंग उपस्कर, गाइड फ्रेम • सहायक सुविधाओं के साथ डी-स्लैगिंग मशीनें (स्लैग रेकिंग मशीन) • सहायक उपकरणों के साथ तापमान मापने और नमूना लेने का साधन
12.3	बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस/एलडी ईकाई [शोधित गर्म धातु को बीओएफ कनवर्टर में डाला जाता है, जहां इसे इस्पात में परिवर्तित करने के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है, जिसकी फिर लैडल फर्नेस (एलएफ) में आपूर्ति की जाती है]	65%	<ul style="list-style-type: none"> • क्लैम्पिंग के साथ लांस बॉडी, लांस कैरिज, लांस गाइड, लांस होइस्ट और ट्रॉली, सहायक उपकरणों के साथ लांस कॉपर टिप्स। • आपातकालीन टिल्टिंग ड्राइव के लिए न्यूमेटिक मोटर्स।

			<ul style="list-style-type: none"> • ज्वाइंट के साथ बॉटम स्टिरिंग प्रणाली, वाल्व स्टेशन और रोटरी • सहायक उपकरणों के साथ ऑक्सीजन/आर्गन/नाइट्रोजन के लिए वाल्व स्टेशन • सहायक उपकरणों के साथ उप-लांस प्रणाली • सभी सहायक उपकरणों सहित कंटेनर प्रयोगशाला। • सहायक उपकरणों के साथ स्वचालित गैस कपलिंग (ऑटो कपलर)। • कनवर्टर रेकिंग मशीन। • कनवर्टर टैप होल बदलने की मशीन • रिफ्रैक्टरी निगरानी (लेजर) मशीन।
12.4	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूनिट (प्राथमिक सामग्री जैसे स्कैप, डी.आर.आई., पिग आयरन और गर्म धातु को विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके तरल इस्पात में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कच्चे माल को पिघलाया और परिष्कृत किया जाता है)	70%	<ul style="list-style-type: none"> • सहायक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रोड रेगुलेशन प्रणाली • फर्नेस ट्रांसफार्मर सहित हाई करंट प्रणाली • सहायक उपकरणों के साथ ऑक्सीजन और कार्बन इंजेक्शन प्रणाली • सहायक उपकरणों के साथ मैनुअल तापमान मापन और नमूनाकरण लांस

12.5	लैडल फर्नेस यूनिट [तरल इस्पात को वांछित ग्रेड प्राप्त करने के लिए संसाधित/शोधित किया जाता है और निरंतर कास्टिंग मशीन (सीसीएम) को आपूर्ति किए जाने से पहले बफर स्टॉक के रूप में रखा जाता है]	70%	<ul style="list-style-type: none"> • सहायक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रोड विनियमन प्रणाली • सहायक उपकरणों के साथ मैनुअल तापमान मापन और नमूनाकरण लांस
12.6	आरएच/आरएच-ओबी यूनिट [आवश्यक विघटित गैस स्तर प्राप्त करने के लिए तरल इस्पात को डीगैस किया जाता है और फिर निरंतर कास्टिंग मशीन (सीसीएम) को आपूर्ति की जाती है]	65%	<ul style="list-style-type: none"> • सहायक उपकरणों के साथ गैस स्टिरिंग सिस्टम/लिफ्ट गैस स्टिरिंग सिस्टम वॉल्व स्टैंड • सहायक उपकरणों के साथ ऑक्सीजन लांस प्रणाली • सहायक उपकरणों के साथ हाइड्रिस मापन प्रणाली
12.7	सतत कास्टिंग इकाई (स्लैब कास्टर/ बिलेट/ ब्लूम राउंड/ कॉम्बी/ बीम ब्लैक) [तरल इस्पात को निरंतर कास्टिंग मशीन (सीसीएम) में स्लैब, बिलेट या ब्लूम में ढाला जाता है]	65%	<ul style="list-style-type: none"> • सहायक उपकरणों सहित लैडल स्लैग डिटेक्शन प्रणाली • कॉपर ट्यूब और प्लेट, मोल्ड ऑसीलेशन सिलेंडर। • रोटरी यूनियन। • सहायक उपकरणों सहित सतत तापमान माप प्रणाली। • सहायक उपकरणों के साथ टॉर्च कटिंग मशीन/ आपातकालीन टॉर्च कटर • सहायक उपकरणों सहित विद्युत ड्राइव सिस्टम सहित डिबुरर मशीन • मार्किंग मशीन।

			<ul style="list-style-type: none"> • सहायक उपकरणों सहित रोल गैप चेकर • सहायक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिरर (ईएमएस)/इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग (ईएमबीआर) प्रणाली
13	प्लेट उत्पाद मिल्स		
13.1	हॉट स्ट्रिप मिल्स/ प्लेट मिल (बाउंड्री लिमिट: सहायक उपकरणों सहित) स्लैब यार्ड से डिस्पैच बे तक)	50%	<ul style="list-style-type: none"> • डी-स्केलर, मिल स्टैंड, बेड प्लेट, बैकअप रोल, वर्क रोल, मिल स्पिंडल, चॉक्स, एजीसी सिलेंडर, बेंडिंग ब्लॉक और सिलेंडर, शियर, डाउन कॉइलर, एंटी-फ्रिक्शन रोल नेक बेयरिंग, ऑयल फिल्म बेयरिंग, मिल रिड्यूसर, लोड सेल, थिकनेस गॉज, प्रोफाइल गॉज, लेवलर, रोल ग्राइंडिंग मशीन, कॉइल मार्किंग मशीन, प्लेट मार्किंग मशीन, मिल स्टैंड मोटर्स और मिल स्टैंड एमवी ड्राइव सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम आदि।
13.2	सीआरएम (पीएलटीसीएम) (बाउंड्री लिमिट: पिकलिंग लाइन प्रवेश से मिल निकास तक)	50%	<ul style="list-style-type: none"> • वेल्डिंग मशीन, टेंशन लेवलर, मिल स्टैंड, बैकअप रोल, एंटीफ्रिक्शन बीयरिंग, ऑयल फिल्म बीयरिंग, रोल चॉक्स, रोल फोर्स सिलेंडर, रोल बेंडिंग और रोल शिफ्टिंग सिलेंडर, मिल स्पिंडल, लोड सेल, पोजिशन ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑइलर, साइड ट्रिमर, स्टीयरिंग सिस्टम, सरफेस इंस्पेक्शन सिस्टम, थिकनेस गेज, लेजर

			स्पीड गेज, टेंसियोमीटर, फ्लैटनेस गॉज, टेंशन रील, मिल रिड्यूसर, मिल स्टैंड मोटर्स और मिल स्टैंड एमवी ड्राइव सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम आदि।
13.3	सीआरएम (एचडीजीएल) (बाउंड्री लिमिट: टेम्पर मिल और टेंशन लेवलर सहित एचडीजीएल में प्रवेश से निकास तक)	60%	<ul style="list-style-type: none"> वेल्डिंग मशीन, रेडिएंट ट्यूब फर्नेस, जेट कूलिंग सिस्टम, इंडक्शन हीटिंग के साथ कोटिंग पॉट, पॉट रोल, एयर नाइफ वाइपिंग सिस्टम, टेंशन लेवलर, विड्थ गॉज, थिकनेस गेज, कोटिंग मोटाई गॉज, लोड सेल, रोल फोर्स सिलेंडर, मिल स्टैंड मोटर्स और मिल स्टैंड ड्राइव सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, आदि।
13.4	सीआरएम (एसपीएम) (बाउंड्री लिमिट: एसपीएम में प्रवेश से निकास तक)	50%	<ul style="list-style-type: none"> मिल स्टैंड, बैकअप रोल, एंटीफ्रिक्शन बीयरिंग, ऑयल फिल्म बीयरिंग, रोल चॉक्स, रोल फोर्स सिलेंडर, मिल स्पिंडल, इलेक्ट्रोस्टेटिक ऑइलर, कॉइल मार्किंग सिस्टम, लोड सेल, थिकनेस गॉज, मिल स्टैंड मोटर्स और मिल स्टैंड एमवी ड्राइव सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, आदि।
13.5	सीआरएम (बेल एनीलिंग फर्नेस) (बाउंड्री लिमिट: फर्नेस बेस से पोस्ट शीतलन उपस्कर तक)	55%	<ul style="list-style-type: none"> फर्नेस, स्वचालन प्रणाली, आदि।

13.6	सीआरएम (कलर कोटिंग लाइन) (बाउंड्री लिमिट: सीसीएल में प्रवेश से निकास तक)	80%	<ul style="list-style-type: none"> कोटर, कोटिंग थिक्नेस गेज, डिजिटल प्रिंटर, टेंशन लेवलर, स्वचालन आदि।
14	लॉन्ग उत्पाद मिल्स		
14.1	बारमिल/डब्ल्यूआरएम/एमएम/एलएसएम (बाउंड्री लिमिट: फर्नेस प्रवेश से लेकर प्रेषण तक)	75%	<ul style="list-style-type: none"> फास्ट फिनिशिंग ब्लॉक, रोल टर्निंग लेथ, प्रोफाइल गेज, स्वचालन प्रणाली आदि।
14.2	रेल मिल/भारी संरचनात्मक मिल (बाउंड्री सीमा: सामग्री हैंडलिंग को छोड़कर फर्नेस प्रवेश से लेकर रेल वेल्डिंग संयंत्र के निकास तक)	45%	<ul style="list-style-type: none"> मिल स्टैंड, मिल मोटर एवं ड्राइव सिस्टम, हीट ट्रीटमेंट सुविधा, स्ट्रेटनिंग मशीन, एनडीटी सुविधाएं, वेल्डिंग मशीन, प्रोफाइल गेज, हॉट साँ, कोल्ड साँ, हॉट मार्किंग मशीन, रोल टर्निंग लेथ, साँ ग्राइंडिंग मशीन, स्वचालन प्रणाली सिस्टम आदि।
15	व्हील संयंत्र (तैयार पहिये के लिए राउंड/इनगोट की प्राप्ति)	30%	<ul style="list-style-type: none"> सर्कुलर साँ, फोर्जिंग प्रेस, व्हील रोलिंग मिल, व्हील डिशिंग प्रेस, व्हील स्टैम्पिंग मशीन, रिम स्पैइंग मशीन, मोबाइल चार्जर, (हैंडलिंग रोबोट), मशीनिंग सुविधाएं, परीक्षण सुविधाएं, स्वचालन प्रणाली आदि।
16	रिफ़ैक्टरी ब्रिक (कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर तैयार ब्रिक तक)	50%	<ul style="list-style-type: none"> हाइड्रोलिक प्रेस
17	इलेक्ट्रिकल (विद्युत गुणवत्ता प्रणाली)	30%	<ul style="list-style-type: none"> एमवी स्टेटकॉम (स्टेटिक सिंक्रोनस कम्पेन्सेटर) प्रणाली

परिशिष्ट-ग**लौह एवं इस्पात क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना****1) उद्देश्य:**

इस्पात विनिर्माण के सभी चरणों में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को अपनाने, विकास और विस्तार को प्रोत्साहित करके भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

2) विषय क्षेत्र:

यह नीति इस्पात बनाने या इस्पात विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होती है।

3) नीति निदेश:

3.1 ऐसे मामले जहां पहले की इंजीनियरिंग और आपूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी और प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन वर्तमान क्षमता आवश्यकता से मेल नहीं खाते हैं, ऐसे मामलों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

3.1.1 उत्पादन क्षमता प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता का 30% होगी

3.1.2 विक्रेताओं के साथ स्पष्ट गठजोड़ की उपलब्धता

3.1.3 प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता के कम से कम 75% के लिए परियोजनाओं की विस्तृत इंजीनियरिंग का अनुभव

3.2 ऐसे मामले जहां प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, लेकिन पहले आपूर्ति के लिए कोई संदर्भ उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

3.2.1 स्वदेशी प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता ने प्रस्तावित परियोजना की कम से कम 75% विशेषताओं से मेल खाते हुए परियोजनाओं की विस्तृत इंजीनियरिंग की है

3.2.2 स्वदेशी प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता ने प्रस्तावित परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं से 100% मेल खाते हुए विस्तृत इंजीनियरिंग की है

3.2.3 विक्रेताओं के साथ स्पष्ट गठजोड़ की उपलब्धता

3.2.4 प्रौद्योगिकी उपलब्धता के प्रमाणिक साक्ष्य (अन्य पर्याप्त साक्ष्य पर आईपीआर)

4) कार्यान्वयन निरीक्षण:

इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित स्थायी समिति कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, विवादों का समाधान करेगी तथा पात्रता एवं प्रोत्साहन मानदंडों को समय-समय पर अद्यतन करेगी।

प्रपत्र- 1

लौह एवं इस्पात उत्पादों/ पूंजीगत माल में घरेलू मूल्यवर्धन के संबंध में 100/- रुपए मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दिए जाने के लिए स्व-प्रमाणन शपथ-पत्र हेतु प्रारूप

तारीख:

मैं _____ सुपुत्र, सुपुत्री, पत्नी, _____, निवासी _____
 _____ एतद्वारा निष्ठापूर्वक निम्नानुसार वचन देता हूँ और घोषण करता हूँ:

कि मैं अधिसूचना सं. : _____ के माध्यम से जारी की गई भारत सरकार की नीति के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

कि यहां नीचे दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैं घरेलू मूल्यवर्धन का आकलन करने के प्रयोजन से प्रापण एजेंसी(यों) के समक्ष संगत रिकार्ड प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ।

कि सभी इनपुट्स के लिए घरेलू मूल्यवर्धन जिसमें उक्त लौह एवं इस्पात उत्पाद शामिल हैं का सत्यापन मेरे द्वारा कर लिया गया है और मैं उसमें किये गये दावों की सत्यता के लिए जिम्मेदार हूँ।

कि इसमें उल्लिखित उत्पाद घरेलू मूल्यवर्धन सही नहीं पाये जाने और मूल्यवर्धन के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा न किये जाने की स्थिति में, घरेलू मूल्यवर्धन का आकलन करने के प्रयोजन से प्रापण एजेंसी(यों) के आकलन के आधार पर मैं 36 महीनों की अवधि के लिए किसी सरकारी निविदा के लिए अयोग्य ठहराया जाऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं इस प्रकार के आकलन की सभी लागतों का वहन करूंगा।

कि मैंने अधिसूचना संख्या _____ जिसमें सरकारी अधिप्राप्ति में घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता दी गई है, में संदर्भित सभी शर्तों का पालन किया है और यह कि प्रापण एजेंसी को एतद्वारा अधिकार दिया जाता है कि वह मेरे ईएमडी को जब्त करे। यह भी वचन देता हूँ कि मैं आकलन की लागत का भुगतान करूंगा और निविदा दस्तावेज में यथा उल्लिखित सभी शास्ति राशि का भुगतान करूंगा।

मैं 8 वर्षों की अवधि के लिए कम्पनी के रिकॉर्ड में निम्नलिखित सूचना रखने के लिए सहमत हूँ और किसी सांविधिक प्राधिकारी को सत्यापन के लिए इसे उपलब्ध कराऊंगा।

- i. बोलीदाता का नाम और ब्यौरा (पंजीकृत कार्यालय, विनिर्माण इकाई का स्थान, कानूनी प्रतिष्ठान की प्रकृति)
- ii. वह तारीख जब यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- iii. लौह एवं इस्पात उत्पाद जिसके लिए यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- iv. प्रापण एजेंसी जिसे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- v. दावा की गई घरेलू मूल्यवर्धन की प्रतिशतता और क्या यह निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के थ्रेशोल्ड वेल्यू को पूरा करता है।
- vi. विनिर्माता(ओं) इकाई का नाम और संपर्क विवरण
- vii. लौह एवं इस्पात उत्पादों की निवल बिक्री कीमत
- viii. संयंत्र तक भाड़ा, बीमा और रखरखाव
- ix. लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट इस्पात (आयातित) की सूची और कुल लागत मूल्य।
- x. घरेलू स्तर पर इनपुट इस्पात की सूची और कुल लागत
- xi. यदि इनपुट इन हाऊस नहीं हो, तो कृपया आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणपत्र संलग्न करें।
- xii. आयातित इनपुट इस्पात के लिए, सीआईएफ मूल्य के ब्रेक-अप के साथ भारतीय पोर्ट पर लैंडिंग कोस्ट, शुल्क एवं कर, पोर्ट हैंडलिंग संबंधी शुल्क और अंतर्देशीय भाड़े की लागत का ब्यौरा।

(इकाई/फर्म का नाम) के लिए तथा की ओर से

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत किये जाने के लिए)

<नाम, पदनाम और संपर्क सं. की प्रविष्टि करें>

[फा. सं. 8(2)/2023-आई डी-1]

अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2025

G.S.R. 341(E).— In supersession of earlier Domestically Manufactured Iron & Steel Products Policy, the revised Domestically Manufactured Iron & Steel Products Policy-2025 for providing preference to Domestically Manufactured Iron & Steel Products in Government procurement is hereby published for general information.

POLICY FOR PROVIDING PREFERENCE TO DOMESTICALLY MANUFACTURED IRON & STEEL PRODUCTS IN GOVERNMENT PROCUREMENT- REVISED, 2025

1. Background

- 1.1. This policy provides preference for Domestically Manufactured Iron and Steel Products (DMI&SP) in Government procurement.
- 1.2. The policy applies to procurement of iron & steel products notified in Appendix A. In Appendix B, the minimum domestic content and an exempted list of capital goods for manufacturing iron & steel products which can be imported have been listed. Appendix C contains the policy for promoting the procurement of technology from the indigenous technology suppliers.

2. Definitions

- 2.1. **Bidder** may be a domestic/ foreign manufacturer of iron & steel or their selling agents/ authorized distributors/authorized dealers/ authorized supply houses or any other company engaged in the bidding of projects funded by Government agencies.
- 2.2. **Domestically Manufactured Iron & Steel Products** are those iron and steel products that are manufactured by entities that are registered and established in India, including in Special Economic Zones (SEZs).
- 2.3. **Domestic Manufacturer** is a manufacturer of iron & steel products conforming to guidelines in section 7 and the definition of ‘manufacturer’ as per the Central Excise Act.
- 2.4. **Domestic value addition** means the amount of value added in India which shall be the total value of the item to be procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all custom duties) as a proportion of the total value of the item to be procured, in percent. The ‘domestic value addition’ definition shall be in line with the DPIIT guidelines and shall be suitably amended in case of any changes by DPIIT in the future. For the purpose of this policy document, domestic value addition and local content have been used interchangeably.

% Domestic value addition =

{Total value of the item to be procured (excluding net domestic indirect taxes) – The value of imported content in the item (including all customs duties)}

X 100%

{Total value of the item to be procured}

- 2.5. **Finished Steel** shall mean flat and long products, which can be subsequently

processed into manufactured items.

- 2.6. **Government** for the purpose of the Policy means Government of India.
- 2.7. **Government agencies** include Government PSUs, Societies, Trusts, and Statutory bodies set up by the Government of India.
- 2.8. **Indigenous Technology:** A technology shall be deemed to be Indigenous technology if, at least 51 % of the entity's equity is held by Indian residents and the IPR is owned or co-owned by an Indian entity or licensed exclusively to them and the core engineering R&D, and project execution capabilities reside in India.
- 2.9. **L1** means the lowest tender or the lowest bid or the lowest quotation received in a tender, bidding process, or other procurement solicitation as adjudged in the evaluation process as per the tender or other procurement solicitation.
- 2.10. **MoS** shall mean Ministry of Steel, Government of India.
- 2.11. **Margin of purchase preference** means the maximum extent to which the price quoted by a domestic supplier may be above L1 for the purpose of purchase preference. In the case of DMI&SP policy, the margin of purchase preference shall be 20 % for items in Appendix B.
- 2.12. **Melt & Pour** is defined as the steel that has been produced in a steel-making furnace and poured into its first solid shape. The location where this process takes place is called the country of melt and pour (COM). The COM is the original location where crude steel is first produced in a liquid state and poured into its first solid shape. The first solid shape can be a semi-finished product, like a slab, billet, ingot, or a finished steel mill product.
- 2.13. **Net Selling Price** shall be the invoiced price excluding net domestic taxes and duties.
- 2.14. **Semi-Finished Steel** shall mean Ingots, billets, blooms, and slabs, which can be subsequently processed into finished steel.

3. Exclusions

- 3.1. Waivers may be granted by the Ministry of Steel to all such Government procurements subject to the below conditions:
 - 3.1.1. Where specific grades of steel are not manufactured in the country, or
 - 3.1.2. Where the quantities as per the demand of the project cannot be met through domestic sources.
- 3.2. Exemption requests shall be submitted to the Standing Committee along with sufficient proof of unavailability of iron & steel products domestically.

4. Standing Committee

- 4.1. A Standing Committee chaired by the Secretary (Steel), shall oversee the implementation of the policy.
- 4.2. The Committee shall comprise of experts drawn from Industry/Industry

Association/Government Institution or Body/Ministry of Steel. The said Committee in MoS shall have the mandate for the following:

- 4.2.1. Monitor the implementation of the policy.
- 4.2.2. Review and notify the list of Iron & Steel products, the domestic content requirement criteria and policy directives as mentioned in Appendix A, Appendix B and Appendix C.
- 4.2.3. Issue necessary clarifications for implementation of the policy including grant of exclusions to procuring agencies as per Para 3.
- 4.2.4. Constitute a grievance redressal committee for preliminary examination of complaints related to implementation of this policy.
- 4.2.5. Issue directions for suitable action to Ministries/Departments concerned in case of non-compliance with this policy by the procuring agency and advise.
- 4.3. Wherever a procuring entity concludes that an unreasonably high price has been quoted by the sole bidder/manufacturer, the matter may be referred to the Committee. In such cases, the procuring entity would be required to substantiate its case with complete and thorough documentation.
- 4.4. Specifying foreign certifications/unreasonable technical specifications in bid document is a restrictive and discriminatory practice against local suppliers. If foreign certification is required to be stipulated because of non-availability of Indian Standards and/or for any other reason, the same shall be done only after written approval of the Committee.

5. Applicability

- 5.1. The policy applies to every Ministry or Department of Government and all agencies/entities under their administrative control and to projects funded by these agencies for the purchase of iron & steel products for government projects. All Central Sector Schemes (CS)/Centrally Sponsored Schemes (CSS) for which procurement is made by States and Local Bodies, come within the purview of this Policy if that project/ scheme is fully/partly funded by the Government of India.
- 5.2. The policy applies to public sector steel manufacturers and agencies/entities under their administrative control for purchase of capital goods (Appendix-B) for manufacturing iron & steel products.
- 5.3. Appendix-B contains the exemption list of capital goods used in manufacturing iron & steel products which can be imported, and the minimum domestic content requirement for respective packages. The domestic value addition for Capital Goods, as indicated, is subject to change; for example, if some capital goods components can be manufactured in the country, the domestic value addition percentage may go up.
- 5.4. A purchase preference of 20% is applicable for capital goods used in steel manufacturing. For example, if the lowest bidder (L1) for an importable capital good is a foreign company with a quoted price of INR 100 crores for the product package, under the policy, procurement preference of 20% will be applicable to a domestic

supplier of the same capital good.

- 5.5. Appendix-C contains directives and methodology for steelmaking CPSEs to procure from indigenous technology suppliers.
- 5.6. The policy shall apply to projects and non-projects where the total procurement value of iron and steel products (Appendix-A) in a contract is greater than Rs. 5 lakhs, on itemised basis.
- 5.7. No Global Tender Enquiry (GTE) shall be invited for tenders related to the procurement of iron and steel products (Appendix-A of the DMI&SP Policy). No Global Tender Enquiry (GTE) shall be invited for tenders related to the procurement of Capital Goods for manufacturing iron & steel products (Appendix-B of the DMI&SP Policy) having estimated value up to Rs. 200 Crore except with the approval of competent authority as designated by Department of Expenditure.
- 5.8. The policy applies to the purchase of iron & steel products by private agencies for fulfilling an EPC contract and/or any other requirement of a Ministry or Department of Government or their PSUs.

6. Tender procedure for procurement

- 6.1. Procuring agencies shall follow standard procurement procedures, in accordance with instructions of the Ministry of Finance and CVC while adhering to DMI&SP policy.
- 6.2. The tender document, for procurement of both Goods as well as for EPC contracts, should explicitly outline the qualification criteria for adherence to the requirement as mentioned in Appendix A and Appendix B.
- 6.3. Domestic manufacturers of products under Appendix-A and Appendix-B shall self-certify the local content as per form-1 placed in the policy, at the time of bidding.
- 6.4. Bidders who are selling agents/authorized distributors/authorized dealers/authorized supply houses of the domestic manufacturers of iron & steel products, covered by Appendix-A, are eligible to bid with self- certification on behalf of the domestic manufacturers under the policy, subject to the bidder furnishing an authorisation certificate issued by the domestic manufacturer at the time of delivery.
- 6.5. For products covered under Appendix B of the DMI&SP policy, the bidder shall furnish certification issued by the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) declaring that the capital goods to be used in iron & steel industry are domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed.
- 6.6. If Indian suppliers of an item are not allowed to participate and/ or compete in procurement by any foreign government, due to restrictive tender conditions which have direct or indirect effect of barring Indian companies such as registration in the procuring country, execution of projects of specific value in the procuring country etc., it shall provide such details to the procuring entities for appropriate reciprocal action.
- 6.7. Entities of countries that have been identified by the Ministry of Steel as not allowing

Indian companies to participate in their Government procurement for any item related to the Ministry of Steel shall not be allowed to participate in Government procurement in India for all items related to Ministry of Steel, except for the list of items published by Ministry of Steel permitting their participation.

- 6.8. The stipulation above shall be part of all tenders including those on GeM portal invited by the Central Government procuring entities.
- 6.9. In case restrictive or discriminatory conditions against domestic suppliers are included in bid documents, an inquiry shall be conducted by the Administrative Department undertaking the procurement (including procurement by any entity under its administrative control) to fix responsibility for the same. Thereafter, appropriate action, administrative or otherwise, shall be taken against erring officials of procurement entities under relevant provisions. Intimation on all such action shall be sent to the Standing Committee under the DMI&SP policy.
- 6.10. A supplier debarred by any procuring entity for violation of this Order shall not be eligible for preference under this Order for procurement by any other procuring entity for the duration of the debarment. The debarment for such other procuring entities shall take effect prospectively from the date on which it comes to the notice of other procurement entities.
- 6.11. In case, the matter is referred to the Ministry of Steel, the grievance redressal committee set up under the MoS shall dispose of the complaint within 4 weeks of its reference and receipt of all documents from the bidder after taking into consideration, the view of the Government Agency. The bidder shall be required to furnish the necessary documentation in support of domestic value addition claimed in iron & steel products to the grievance redressal committee under MoS within 2 weeks of the reference of the matter.
- 6.12. Procuring agency shall define the penalties, in case of a wrong declaration by the bidder of the prescribed domestic value addition, in the tender document. The penalties may include forfeiting of the EMD, other financial penalties, and blacklisting of such manufacturer/service provider etc., in terms of extant rules.

7. Implementation monitoring by the Ministry of Steel

- 7.1. The policy provisions shall be applicable for 5 years from the date of publication and may further be extended at the discretion of the Ministry of Steel.
- 7.2. MoS shall be the nodal ministry to monitor the implementation of the policy.
- 7.3. Agencies covered under DMI&SP policy shall send declaration on a quarterly basis indicating the extent of compliance to the policy and reasons for non-compliance thereof, during the preceding financial year.

Appendix-A**List of iron and steel products which can only be procured from domestic sources**

Sl. No.	Iron & Steel Products	HS code	Condition
1	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot rolled, not clad, plated or coated	7208	Melt & Pour
2	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	7209	Melt & Pour
3	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated	7210	Melt & Pour
4	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated	7211	Melt & Pour
5	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated	7212	Melt & Pour
6	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel	7213	Melt & Pour
7	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling	7214	Melt & Pour
8	Other bars and rods of iron or non-alloy steel	7215	Melt & Pour
9	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	7216	Melt & Pour
10	Wire of iron or non-alloy steel	7217	Melt & Pour
11	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more	7219	Melt & Pour
12	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm	7220	Melt & Pour
13	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel	7222	Melt & Pour
14	Wire of other alloy steel	7229	Melt & Pour
15	Rails, railway or tramway track construction material of iron or steel	7302	Melt & Pour
16	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron	7303	Melt & Pour
17	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	7304	Melt & Pour
18	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel	7305	Melt & Pour
19	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	7306	Melt & Pour
20	Tube or pipe fittings (for example, connectors/couplings, elbow sleeves), of iron or steel	7307	Melt & Pour
21	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel	7221	Melt & Pour
22	Wire of stainless steel	7223	Melt & Pour
23	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more, including electrical steel	7225	Melt & Pour
24	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm, including electrical steel	7226	Melt & Pour
25	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel	7227	Melt & Pour

26	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non alloy steel	7228	Melt & Pour
27	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel	7301	Melt & Pour
28	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures	7308	Melt & Pour
29	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 whether or not lined or heat insulated, but not fitted with mechanical or Thermal equipment	7309	Melt & Pour
30	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300L, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment	7310	Melt & Pour
31	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel	7311	Melt & Pour
32	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated	7312	Melt & Pour
33	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel	7313	Melt & Pour
34	Grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel	7314	Melt & Pour
35	Chain and parts thereof, of iron or steel	7315	Melt & Pour
36	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel	7316	Melt & Pour
37	Articles of iron and steel	7317	Melt & Pour
38	Articles of iron and steel	7318	Melt & Pour
39	Articles of iron and steel	7319	Melt & Pour
40	Springs and leaves for springs, of iron or steel	7320	Melt & Pour
41	Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel	7321	Melt & Pour
42	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors, not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel	7322	Melt & Pour
43	Tables and similar house hold articles and parts thereof, of iron or steel	7323	Melt & Pour
44	Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel	7324	Melt & Pour
45	Other cast articles of iron or steel	7325	Melt & Pour
46	Electrical steel and other articles of iron or steel	7326	Melt & Pour
47	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled	8605	Melt & Pour
48	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled	8606	Melt & Pour
49	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as bogies, bissel-bogies, axles and forged wheels, and parts thereof	8607	Melt & Pour

Appendix-B

Indicative list of Capital Goods (non-exhaustive) which can be imported for Manufacturing Iron & Steel products, and minimum Domestic content applicable for the package

S. no.	Plant /Unit package	Minimum domestic content of Capital Goods (%)	Importable Items
1	Raw Material Handling System (Boundary Limit – from Wagon Tippler to respective user units)	95%	Barrel Couplings, Heavy Duty Bearings, Crane Rail Lubrication System, Slew Ring Bearings, Tongs (Special), Vibration Isolation System (Spring Damper).
2	Mineral beneficiation (iron ore and coal) equipment (Boundary Limit: from Receiving of ROM at the crusher hopper, comminution, segregation, ore/coal processing up to final product preparation)	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Wet High Intensity Magnetic Separator / High Gradient Magnetic Separator • Heavy Media Cyclone • Gyratory Crusher • Spiral Concentrator • Online Ash Analyser
3	Mining Machinery (Boundary Limit: Equipment for drilling, raising, haulage, and mine preparation)	80%	Dumper (above 220 tons pay load capacity), Hydraulic Excavators (above 10.5 Cubic meter bucket capacity)
4	Coke Oven Battery (Both top charged & stamp charged) (From Coal bunker to coke discharge bucket)	90%	Springs of the anchorage systems, COG booster, stamping train, bonding press
5	Coke Dry Quenching Plant (From Hot coke receiving bucket to discharge chute of cooling chamber)	90%	Mill fan & Motor Special Refractory for Twin Flue of Cooling Chamber.
6	By-Product Plant (From Primary Gas cooler to clean coke oven gas up to the network)	90%	Exhauster & Motor, burner of the clause kiln Catalyst, Tail gas analyzer, Palletization unit.
7	Sinter Plant Equipment (Boundary Limit – Receiving Bin for Raw Material to Vibro-Feeder below Product Sinter Bin)	75%	High Intensive Mixer & Granulator Unit, Pallet cars, Drive Sprocket, Main Drive with Gear Box of sinter machine, slide rail & curved rail, Hot Sinter breaker and Grizzly, Annular Dip Rail Cooler, LCI Drive system for Sinter Plant Exhauster application
8	Pellet Plant Equipment (Boundary Limit – Receiving Ground Hopper for flux & Binder, Belt Conveyor feeding IOF to product pellet belt conveyor)	85%	Pallet car, High Intensive Mixer, Balling Discs, Vertical roller mill, Drive/discharge end Sprocket assembly, Curved rail, Slide rails, Single deck roller screen and Double deck roller screen, Induration Machine Drive assembly, Level-2 automation

9	<p>Blast Furnace Equipment Boundary Limit: Input:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raw material- Top of bunkers of respective material • Cold Blast- Inlet of the snort valve • Industrial water- BF pump house <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hot Metal- Filled in the torpedo ladle • Granulated Slag- to the granulated slag yard 	70%	<ul style="list-style-type: none"> • Bell less top gear box, upper seal device covering upper material gate and upper seal valve, lower seal device covering lower material gate and lower seal valve, Bleeder valve • Hearth Refractory (carbon blocks) • Top Recovery Turbine system (TRT) • Cu-staves • SGI Staves • Cast house equipment (Mud gun, Drilling machine and main trough Manipulator) • Probes, Profilometer & Stock level indicator (radar type) • Gas cleaning plant (AGS system) • Stove system – ceramic burner & technological valve • Waste Heat Recovery system • Turbo blowers • Ball Mill • PCI Injection System • Level-II automation
10	<p>Gas based Direct Reduction Plant Equipment (Boundary Limit: Receipt of raw material at the top of the DRI reactor & discharge of hot DRI to EAF)</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Reactor charging system • Reactor • Reactor discharging system • Pneumatic transfer to EAF • Discharge route to briquetting system • Briquetting feeding system • Briquetting system • Reduction gas circuit • CO₂ removal unit • Process gas heater • Reformer system • Heat Recovery System • Process Gas Compressors • Blowers • Seal Gas System • Flue Gas Fan/ Hot Fan • Process valves • Critical bellows • Critical refractories

			<ul style="list-style-type: none"> • Natural Gas pre-treatment system • Level-II automation
11	Oxygen Plant 700 tpd & Above (Boundary limit: Water, Power at oxygen plant boundary)	30%	<ul style="list-style-type: none"> • Main Air Compressor • Booster Air Compressor • Expansion Turbine • Reboiler • Cryogenic Pumps • Heat exchange elements of ASU
12	Steel Making		
12.1	Hot Metal De- De-Sulphurization Station (HMDS) Unit with Co-Injection Process (Hot metal from the blast furnace (BF) is received in a torpedo ladle or open-top ladle, undergoes desulfurization treatment to reduce “Sulphur (S)” content, and is then transferred to the BOF converter)	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Injection Lance and automatic sampling Unit with auxiliaries • De-slagging Machines (slag raking machine) with auxiliaries • Temp. measuring and sampling device with auxiliaries
12.2	Hot Metal De- De-Sulphurization Station (HMDS) Unit with Mechanical Stirrer (KR) Process (Hot metal from the blast furnace (BF) is received in a torpedo ladle or open-top ladle, undergoes desulfurization treatment to reduce “Sulphur (S)” content, and is then transferred to the BOF converter)	70%	<ul style="list-style-type: none"> • Impeller, Impeller lifting & stirring equipment, Guide Frame with auxiliaries • De-slagging Machines (slag raking machine) with auxiliary facilities • Temp. measuring and sampling device with auxiliaries
12.3	Basic Oxygen Furnace / LD Unit [Treated hot metal is poured into the BOF converter, where it undergoes processing to convert it into steel, which is then supplied to the ladle furnace (LF)]	65 %	<ul style="list-style-type: none"> • Lance body with clamping, Lance carriage, Lance guide, Lance hoist & trolley, Lance copper tips with auxiliaries. • Pneumatic motors for emergency tilting drive. • Bottom stirring system, valve station & rotary joint along with auxiliaries • Valve stations for oxygen/ argon/ nitrogen with auxiliaries • Sub-lance system with auxiliaries • Container lab with all auxiliaries. • Automatic gas coupling (auto coupler) with auxiliaries. • Converter wrecking machine. • Converter tap hole changing machine • Refractory monitoring (laser) machine.

12.4	Electric Arc Furnace Unit (Primary materials such as scrap, DRI, pig iron, and hot metal in combination are converted into liquid steel using electrical energy to melt and refine the raw materials)	70%	<ul style="list-style-type: none"> • Electrode regulation system with auxiliaries • High current system including furnace transformer • Oxygen & Carbon Injection System with auxiliaries • Manual Temp Measuring & sampling Lance with auxiliaries
12.5	Ladle Furnace Unit [Liquid steel is processed/ treated to achieve the desired grade and held as buffer stock before being supplied to the continuous casting machine (CCM)]	70%	<ul style="list-style-type: none"> • Electrode regulation system with auxiliaries • Manual Temp Measuring & sampling Lance with auxiliaries
12.6	RH/ RH-OB Unit [The liquid steel is degassed to achieve the required dissolved gas levels and then supplied to the continuous casting machine (CCM)]	65%	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Stirring System/ Lift Gas Stirring System Valve Stand with auxiliaries • Oxygen Lance System with auxiliaries • Hydri Measurement System with auxiliaries
12.7	Continuous Casting Unit (Slab Caster/ Billet/ Bloom Round/ Combi/ Beam Blank) [The liquid steel is cast into slabs, billets, or blooms in the continuous casting machine (CCM)]	65%	<ul style="list-style-type: none"> • Ladle slag detection system complete with auxiliaries • Copper tube and Plate, Mould oscillation Cylinder. • Rotary Union. • Continuous temperature measuring system with auxiliaries. • Torch cutting machine/ Emergency torch cutter along with auxiliaries • Deburrer machine along with electrical drive system with auxiliaries • Marking machine . • Roll gap checker complete with auxiliaries • Electromagnetic Stirrer (EMS)/ Electromagnetic Braking (EMBr) system along with auxiliaries •
13	Flat Product Mills		
13.1	Hot Strip Mills/ Plate Mill (Boundary Limit: Slab yard to Dispatch Bay, including auxiliaries)	50%	<ul style="list-style-type: none"> • De-scalars, mill stand, bed plates, backup rolls, Work Rolls, mill spindles, chocks, AGC cylinders, bending blocks & cylinders, shears, down coilers, anti-friction roll neck bearings, oil film bearings, mill reducers, load cells, thickness gauge, profile gauge,

			width gauge, levelers, roll grinding machines, Coil Marking Machine, Plate Marking Machine, mill stand motors & mill stand MV drive system, automation system, etc.
13.2	CRM (PLTCM) (Boundary Limit: Pickling line entry to mill exit)	50%	<ul style="list-style-type: none"> Welding machine, tension leveler, mill stands, backup rolls, antifriction bearings, oil film bearings, roll chocks, roll force cylinders, roll bending and roll shifting cylinders, mill spindles, load cells, position transducers, Electrostatic Oiler, Side Trimmer, Steering System, Surface Inspection System, thickness gauges, laser speed gauge, tensiometer, Flatness Gauge, tension reel, mill reducers, mill stand motors & mill stand MV drive system, automation system etc.
13.3	CRM (HDGL) (Boundary Limit: entry to exit of HDGL including temper mill & tension leveler)	60%	<ul style="list-style-type: none"> Welding machine, radiant tube furnaces, jet cooling system, coating pot with induction heating, pot rolls, air knife wiping system, tension leveler, width gauge, thickness gauge, coating thickness gauge, load cells, roll force cylinders, mill stand motors & mill stand drive system, automation system, etc.
13.4	CRM (SPM) (Boundary Limit: entry to exit of SPM)	50%	<ul style="list-style-type: none"> Mill stands, backup rolls, antifriction bearings, oil film bearings, roll chocks, roll force cylinders, mill spindles, Electrostatic Oiler, Coil Marking System, load cells, thickness gauge, mill stand motors & mill stand MV drive system, automation system, etc.
13.5	CRM (Bell Annealing Furnace) (Boundary Limit: From furnace bases to post cooling equipment)	55%	<ul style="list-style-type: none"> Furnace, automation system, etc.
13.6	CRM (Color Coating Line) (Boundary Limit: Entry to exit of CCL)	80%	<ul style="list-style-type: none"> Coater, Coating thickness gauge, digital printer, tension leveler, automation, etc.
14	Long Product Mills		
14.1	Bar Mill/ WRM/MM/ LSM (Boundary Limit: From furnace entry to dispatch)	75%	<ul style="list-style-type: none"> Fast finishing blocks, Roll turning lathes, Profile Gauge, automation systems, etc.
14.2	Rail Mill/ Heavy Structural Mill (Boundary Limit: From furnace entry	45%	<ul style="list-style-type: none"> Mill stands, mill motor & drive system, heat treatment facility,

	to exit of the rail welding plant excluding material handling)		straightening machine, NDT facilities, welding machine, Profile Gauge, Hot Saw, Cold Saw, Hot Marking Machine, Roll Turning Lathe, Saw Grinding Machine, automation system, etc.
15	Wheel Plant (receipt of round/ingot to finished wheel)	30%	<ul style="list-style-type: none"> • Circular saw, forging press, wheel rolling mill, wheel dishing press, wheel stamping machine, rim spaying machine, mobile chargers, (Handling Robots), machining facilities, testing facilities, automation system etc.
16	Refractory Brick (Receipt of raw material to finished brick)	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulic Press
17	Electrical (Power Quality System)	30%	<ul style="list-style-type: none"> • MVSTATCOM • (Static Synchronous Compensator) System

Appendix-C

Promotion of Indigenous Technologies in Iron & Steel Sector

1) Objective:

To promote self-reliance in the Indian iron and steel sector by incentivizing the adoption, development, and scale-up of indigenous technologies across all stages of steel manufacturing.

2) Scope:

This policy applies to Central Public Sector Enterprises involved in steelmaking or putting up a steel manufacturing plant.

3) Policy Directives:

3.1 In cases where technology and proof for earlier engineering & supply is available but does not match the present capacity requirement, following conditions will be applicable for indigenous technology providers:

3.1.1 Production capacity reference to be 30% of the capacity of the proposed plant

3.1.2 Availability of demonstrable tie ups with the vendors

3.1.3 Experience of detailed engineering of projects for at least 75% of the capacity of the proposed plant

3.2 In cases where technology is available but no reference for earlier supply is available, following conditions will be applicable for indigenous technology providers:

3.2.1 The indigenous technology supplier has done detailed engineering of projects matching at least 75% of the features of the proposed project

3.2.2 The indigenous technology supplier has done detailed engineering matching 100% of the critical features of the proposed project

3.2.3 Availability of demonstrable tie ups with the vendors

3.2.4 Demonstrable evidence of technology availability(IPR on other sufficient evidence)

4) Implementation Oversight:

The Standing Committee constituted by Ministry of Steel shall monitor implementation, resolve disputes, and update the eligibility and incentive criteria periodically.

Form-1**Format for Affidavit of Self Certification regarding Domestic Value Addition in Iron & Steel Products/capital goods to be provided on Rs. 100/-Stamp Paper****Date:**

I _____ S/o,D/o,W/o, _____ Resident of _____ Hereby solemnly affirm and declare as under:

That I will agree to abide by the terms and conditions of the policy of Government of India issued vide Notification No: _____.

That the information furnished hereinafter is correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to produce relevant records before the procuring agency (ies) for the purpose of assessing the domestic value addition.

That the domestic value addition for all inputs which constitute the said iron & steel products has been verified by me and I am responsible for the correctness of the claims made therein.

That in the event of the domestic value addition of the product mentioned herein is found to be incorrect and not meeting the prescribed value-addition criteria, based on the assessment of procuring agency (ies) for the purpose of assessing the domestic value-addition, I will be disqualified from any Government tender for a period of 36 months. In addition, I will bear all costs of such an assessment.

That I have complied with all conditions referred to in the Notification No..... wherein preference to domestically manufactured iron & steel products in Government procurement is provided and that the procuring agency (ies) is hereby authorized to forfeit and my EMD. I also undertake to pay the assessment cost and pay all penalties as specified in the tender document.

I agree to maintain the following information in the Company's record for a period of 8 years and shall make this available for verification to any statutory authority.

- i. Name and details of the Bidder (Registered Office, Manufacturing unit location, nature of legal entity)
- ii. Date on which this certificate is issued
- iii. Iron & Steel Products for which the certificate is produced
- iv. Procuring agency to whom the certificate is furnished
- v. Percentage of domestic value addition claimed and whether it meets the threshold value of domestic value addition prescribed
- vi. Name and contact details of the unit of the manufacturer(s)
- vii. Net Selling Price of the iron & steel products
- viii. Freight, insurance and handling till plant

- ix. List and total cost value of input steel (imported) used to manufacture the iron & steel products
- x. List and total cost of input steel which are domestically sourced.
- xi. Please attach domestic value addition certificates from suppliers, if the input is not in house.
- xii. For imported input steel, landed cost at Indian port with break-up of CIF value, duties & taxes, port handling charges and in land freight cost.

For and on behalf of (Name of firm/entity)

Authorized signatory (To be duly authorized by the Board of Directors)

<Insert Name, Designation and Contact No.>

[F. No. 8(2)/2023-ID-I]

ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.